



-प्रेस नोट-

दिनांक: 09.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.07.2024 को एक वारण्टी अभियुक्त हैदर अली पुत्र कालू निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं० 753/19 धारा 125(3) सीआरपीसी मा० न्यायालय अपर प्रिंसिपल जज, परिवार न्यायालय सहारनपुर को ग्राम सब्दलपुर से गिरफ्तार किया गया। वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-

➤ हैदर अली पुत्र कालू निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री अजब सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है०का० 730 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है०का० 559 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 09-07-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा हाइवे पर फायरिंग के मामले में 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तमंचे, 02 जिन्दा/02 खोखा कारतूस 315 बोर व मोटर साईकिल बरामदा

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी नांगल श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में नांगल पुलिस टीम द्वारा दिनांक 08.07.2024 की रात्री में लाखनौर हाइवे पर आपस में फायरिंग करने वाले अभियुक्तगण 1.अजय पुत्र बब्लू निवासी सराय मालियान कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर एवं 2.गौरव पुत्र चन्द्रबोस निवासी ग्राम जटौल थाना देवबन्द जिला सहारनपुर को मौके से गिरफ्तार किया गया जामा तलाशी से दोनो अभियुक्तगणों के कब्जे से 02 तमंचे 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस बरामद हुए। जिसके सम्बन्ध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 178/24 धारा 191(3)/109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 7 सीएलए एक्ट बनाम अभियुक्त 1.अजय 2.गौरव 3.विपुल शर्मा पुत्र राजकुमार शर्मा व अन्य अज्ञात पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 09.07.2024 को ही मुकदमा उपरोक्त में नामित/वाँछित अभियुक्त विपुल शर्मा पुत्र राजकुमार शर्मा निवासी ग्राम फरकपुर पाँचली थाना पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों से पूछताछ करने पर बताया गया कि हम लोग आपस में दोस्त हैं। तथा हमारा स्कूल में पढ़ने वाले अन्य लडको से ही किसी बात को लेकर झगडा हो गया था। जिस सम्बन्ध में लाखनौर हाइवे पर हम लोगो की आपस में फायरिंग हो रही थी। दूसरी पार्टी के लोग पुलिस को देखकर भाग गये थे। पुलिस द्वारा हम लोगो को मौके से पकड लिया है। हमसे गलती हो गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अजय पुत्र बब्लू निवासी सराय मालियान कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. गौरव पुत्र चन्द्रबोस निवासी ग्राम जटौल थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
3. विपुल शर्मा पुत्र राजकुमार शर्मा निवासी ग्राम फरकपुर पाँचली थाना पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर

बरामदगी का विवरण:-

- 02 तमंचे 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 02 खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 मो0सा0 न0 UP11BC8157 प्लेटिना रंग सिल्वर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 सचिन त्यागी थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर
4. उ0नि0 महेशचन्द थाना नांगल जिला सहारनपुर
5. है0का0 389 जितेन्द्र कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
6. का0 2440 हरकेश सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 09-07-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 10 ग्राम स्मैक व

9110/- रू0 नकद बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.07.2024 को पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त फरीद पुत्र हनीफ निवासी मौ0 कस्सावान कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर को आनन्दबाग से कादरपुर गांव की तरफ पीर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 10 ग्राम स्मैक नाजायज व स्मैक बेचकर कमाये 9110 रू0 बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0स0-196/2024 धारा-8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं स्मैक सस्ते दामों में लाकर आसपास के गाँव में जाकर मंहगे दामों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता हूँ जो पैसा मिलता है उससे अपना खर्चा चलाता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फरीद पुत्र हनीफ निवासी मौ0 कस्सावान कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 10 ग्राम स्मैक
- 9110/- रू0 नकद (स्मैक बेचकर प्राप्त किये)

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 123/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बेहट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री इलियास अली थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 521 सुनील राणा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
4. है0का0 586 राजीव पंवार थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 09-07-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, पुलिस द्वारा दो नाबालिग युवतियों को बहला फुसलाकर भगा ले जाने

वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 06.07.2024 को वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत उसकी नाबालिग पुत्री को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 129/24 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कराया तथा दिनांक 07.07.2024 को एक अन्य वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत उसकी नाबालिग पुत्री को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 133/24 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटनाओं का संज्ञान लेकर अपहर्ताओं की तलाश एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये, आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.07.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा दोनो अभियोगों से सम्बन्धित अपहर्ताओं को नियमानुसार सकुशल बरामद कर अभियुक्त **सलमान पुत्र मुइनुद्दीन निवासी कमालपुर रोड चाँद कालोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को रसूलपुर फ्लाईओवर के पास सर्विस रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में मु0अ0सं0 129/24 धारा 137(2)/64 बीएनएस व ¾ पाक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी तथा मु0अ0सं0 133/24 धारा 137(2) बीएनएस व 17/20 पोक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सलमान पुत्र मुइनुद्दीन निवासी कमालपुर रोड चाँद कालोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. श्रीमान थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार राय थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. प्रशिक्षु उ0नि0 श्री गौरव कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. प्रशिक्षु म0उ0नि0 रश्मि थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 09-07-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना देवबंद, पुलिस द्वारा चोरी का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक को वादी महीपाल सिंह S/O श्री खचेडू सिंह एवं वादी श्री मोहकम पुत्र उमराव निवासीगण मिरगपुर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर अज्ञात चोरों द्वारा वादियों के ट्यूबैल के तार व मोटर चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर क्रमशः मु0अ0सं0-268/2024 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0 269/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी देवबंद के कुशल नेतृत्व में थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त **शमशाद उर्फ प्रधान पुत्र इस्लाम रांगड नि0गण ग्राम भन्हेडा खास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को रोडवेज बस अड्डे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 उ0नि0 मुकेश कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।
2. है0का0 लोकेश कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 09.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध असलाह रखने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी व अवैध शस्त्र रखने/तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 09.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अजहर पुत्र बिलाल निवासी ढोलीखाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को कुतुबशेर चौक से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बरामद। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त अजहर उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 201/2024 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त अजहर उपरोक्त ने बताया कि यह तमंचा मैं आस पास को लोगो पर रौब जमाने व लोगो को डराने धमकाने के लिए अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

➤ अजहर पुत्र बिलाल निवासी ढोलीखाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर

➤ 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त अजहर का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 138/18 धारा 323/325 भादवि थाना कुतुबशेर
2. मु0अ0सं0 201/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 960 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 511 जयवीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।